IJNRD.ORG ISSN : 2456-4184
INTERNATIONAL JOURNAL OF NOVEL RESEARCH AND DEVELOPMENT (IJNRD) | IJNRD.ORG
An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

महिला उद्यमिता के विकास में सूक्ष्म वित्त की भूमिका

डॉ. सपना शर्मा
सहायक प्राध्यापक (वाणिज्य)
माता गुजरी महिला महाविद्यालय
जबलपुर

इक्कसवी सदी में भारतीय समाज निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है । वक्त की इस रफ्तार में महिलाएँ अपी आत्मनिर्भरता की ओर ज्यादा जागरूक दिखाई देने लगी हैं । अब महिलाएँ यह समझने लगी है कि नौकरी करने या उद्यम स्थापित करने से उन्हें एक व्यक्तिगत ऊर्जा तथा समाज में स्वतंत्र अस्तित्व मिलता है नारी को मिली दर्जे व सामाजिक महत्ता में परिवर्तन आने के साथ–साथ उनके सोचने व महसूस करने की तरीके भी बदलते हैं । औद्योगिक उत्पादन वृद्धि हेतु महिलाओं की उद्यमिता में संलग्नता प्रेरित करने एवं बनाये रखने के लिए महिला उद्यमी प्रेरणाएं आवश्यक हैं । वर्तमान समय में सरकार ग्रामीण विकास पर अत्यधिक बल दे रही है । आज किसी भी क्षेत्र में महिलाओं के योगदान को नकारा नहीं जा सकता । विकास के लिए महिलाओं की स्थिति में सुधार अत्यधिक आवश्यक है । ग्रामीण महिलाओं हेतु सर्वप्रथम शिक्षा की व्यवस्था किया जाना अपरिहार्य होगा आज भी ग्रामीण क्षेत्र की महिला अशिक्षित है । महिला उद्यमी रस्सी बनाना, बीड़ी बनाना, चटाई कटोरी, पापड़ बनाना आदि प्रशिक्षण देकर कुटीर उद्योग निश्चय ही उपयोगी साबित होगा ।

मुख्य शब्द (की वर्ड – महिलाओं के सूक्ष्म वित्त की भूमिका

परिचय सूक्ष्म वित्त से आशय

सूक्ष्म वित्त से आशय बचत, साख व बीमा सेवाओं से है, जिसके अन्तर्गत समाज के सामाजिक व आर्थिक लघु क्षेत्रों की बुराईयों को सम्मिलित नहीं किया जाता है, भारत के संदर्भ में छोटे व सीमांत कृषक, ग्रामीण महिलाएं तथा आर्थिक रूप से पिछड़ा हुआ वर्ग वित्त, के बहुत बड़े उपभोक्ता हैं । वर्ममान में महिला सूक्ष्म वित्त से आशय लघु कोषों हेतु प्रावधान साख व अन्य वित्तीय सेवाएँ तथा गावं रहने वाले ग्रामीण अर्द्ध ग्रामीण और पिछड़े हुए क्षेत्रों के लिए एक छोटी राशि को एकत्रित करना है । जो कि उनके आय स्तर व जीवन स्तर में वृद्धि करने हेतु आवश्यक हो । वर्तमान समय में महिला वर्ग का एक बहुत बड़ा भाग सूक्ष्म साख तथा इन सेवाओं का प्रयोग करने में लगा हुआ है ।

अर्थव्यवस्था की उभरती जटिलताओं को देखते हुए सूक्ष्म लघु और छोटे उद्यमों के लिए समंकित विकास दृष्टिकोण की आवश्यकता है । ग्रामीण और लघु उद्योग स्थानीय सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं । यह बड़ी संख्या में लघु और बहुत छोटे उद्यम ज्यादातर छोटे कस्बों और गांवों में होते हैं और

देश की लघु उद्यम उत्पादन में योगदान देते हैं । इसका तात्पर्य यह भी है कि देश में महिला उद्यमिता विकास संसाधनों का आकार लेना एक स्थानीय प्रक्रिया है ।

भारतीय महिलाओं का विकास कार्यक्रम स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से सरकार की विकास योजनाओं का केन्द्र रहा है । महिलाओं उद्यमी के सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक स्तर को पुरूषों के समान ऊपर उठा के उन्हें राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाना चाहिए । आधुनिक व्यवसायिक क्षेंत्रों जैसे इलेक्ट्रानिक, इलेक्ट्रिकल, घड़ी निर्माण, कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, होटल प्रबंध, फैशन, ब्यूटी कल्चर, रेडीमेड गारमेंट, पर्यटन कार्यालय प्रबंध आदि में प्रशिक्षण के लिए महिलाओं को प्राथमिकता दी जाती है । सरकार ने महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए राष्ट्रीय महिला कोष और विकास निगम की स्थापना की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए विशेष कानून बनाये गये । महिला सशक्तिकरण नीति 20 मार्च 2001 से महिलाओं के विरूद्ध हर तरह का भेदभाव समाप्त करने के लिए नीति बनाई गई, किन्त आज भी ग्रामीण महिजलाएं संभावनाओं और क्षमताओं से युक्त होने के बावजूद सशक्तिकरण या अधिकार चेतना से वंचित रहती हैं । सूक्ष्म वित्त वर्तमान में तेजी से बढ़ता हुआ विकास नीति का प्रमुख हिस्सा है । सूक्ष्म वित्त द्वारा ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं। यह कार्यक्रम जीवन स्तर ऊँचा उठाने, लोकतांत्रिक संगठन के निर्माण और महिला सशक्तिकरण में सहायक है ।

आज भी पुरूषों की तुलना में महिलाओं की व्यवसाय उद्यम के क्षेत्र में उपस्थिति काफी कम है । उनमें अभिप्रेरणा की भावना भी कम है । आज भी स्वयं निर्णय लेने के लिए परिवार व समाज का सहारा लेना पड़ता है । हालांकि शहरी क्षेत्रों में यह दूरी धीरे–धीरे कम होती जा रही है । इसके अलावा महिला उद्यमियों को अपना व्यवसाय स्थापित करने और चलाने में अेक समस्याओं का सामना भी करना पड़ता है । पुरूषों की तुलना में महिलाओं को परिवार में और उसके बाहर भेदभाव के कारण अधिक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । सूक्ष्म लघु और मध्यम वर्ग की महिला उद्यमी की भूमिका वास्तव में महिला उद्यमिता की मूल भावना पर निहित है । उद्यमिता अक्सर जमीनी दर पर अंकुरित होती है और लागों की रोजगार आंकाक्षाओं को साकार करती है । सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यमों के बारे में आमतौर पर आर्थिक वृद्धि पर और विशेष रूप से रोजगार संवर्धन को नवीन रूप में ही किए जाने की जरूरत है ।

वास्तव में निर्धन वर्ग की महिला उद्यमी की क्या आवश्कताएँ हैं, तथा उन्हें किस प्रकार की सेवाएँ व उत्पाद दिए जाने चाहिए । शोध अध्ययन करने के पश्चात् इस बात की आवश्यकता महसूस हुई कि इसकी नीतियाँ, कार्यप्रणालियाँ, ऋण संबंधी प्रक्रिया से संदर्भित दशाओं में परिवर्तन की आवश्यकता थी ताकि इन्हें और बेहतर सुविधाएँ दी जा सकें तथा छोटे व मध्यम स्तर की महिलाओं को सूक्ष्म साख प्रदान कर विकास की सुविधाएँ भी प्रदान की जायें ।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत इसका मुख्य उद्देश्य, निर्धन ग्रामीण वर्ग की महिलाओं को बैकिंग सेक्टर के माध्यम से अनुदान द्वारा साख प्रदान करना था जिससे कि स्व–स्वरोजगार एवं महिला उद्यमी वर्ग का निर्माण करके वृहत स्तर पर प्रेरित किया जा सके ।

सूक्ष्म वित्तीय संस्थान की लोकप्रियता, का मुख्य कारण निर्धन को वित्तीय सहायता प्रदान करने के कारण हुआ । इसके अन्तर्गत विभिन्न वर्ग की महिला उद्यमी स्व–सहायता समूहों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को शामिल किया गया, जिसने कि ग्रामीण क्षेत्रीय संगठन में सराहनीय भूमिका निभाई जिसका सबसे बड़ा उदाहरण है । ग्रामीण विकास आधार इसके अन्तर्गत विभिन्न योजनाएँ, जो कि ग्रामीण व्यवसाय प्रारंभ करने हेतु वित्तीय सुविधायें प्रदान करती थी । उनमें प्रमुख थे, ग्रामीण बैंक, निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठन, गरीबी दूर करने के सफल यंत्र के रूप में वर्तमान में सूक्ष्म वित्तीय संगठन के संपूर्ण विश्व का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया गया है । इस योजना ने वार्षिक बजट में यह भी दर्शाया कि वह बाह्म वाणिज्यिक ऋणों को देने में भी समक्षम है। इसी के परिणामस्वरूप राष्ट्रीयकरण का व्यूह रचना में विभिन्न परिणाम सामने आए, जिसमें कुछ सफल तथा कुछ असफल हुए । वर्तमान समय में महिला उद्यमी विकास के लिए एवं सूक्ष्म, लघु वित्तीय संस्थान दो बहुत बड़े वित्त प्रदाता है ।

आज उभरते हुए वैश्विक व्यापार मॉडल में बाहर स्थापित कंपनियों के मूल देश में वापस आने अतः क्षेत्रीय व्यापार (अर्थशास्त्र) का चित्रण है, जो गूगल, एप्पल, फेसबुक और एमेजॉन, जैसी बड़ी कंपनियों ने औद्योगिकी की एक नई लहर और स्पर्धा का आधार उद्यमिता विकास के लिए तैयार किया है । औद्योगिक विकास की अवधारणा दोमुखी दृष्टिकोण पर आधारित है । रोजगार के अवसर दिलाना, इन अवसरों को जहाँ तक सम्भव हो क्षेत्रीय विकास के साधन के तौर पर गाँवों तक ले जाना, इस प्रकार की विचारधारा ने बड़े संख्या में अर्द्धशहरी केन्द्रों के पनपने में उल्लेखनीय योगदान दिया है, जिसमें देश में सूक्ष्म लघु और मझौले उद्यमों को आगे बढ़ने का मौका मिला । शहरों में अमीर गरीब दोनों रहते हैं जिनका आमदनी के बारे में अपना–अपना नजरिया और तरीका है । स्व–रोजगार में स्थानीय अर्थव्यवस्था में योगदान देने, की क्षमता है । लेकन नीतियाँ ऐसी होनी चाहिए जो शहरी और ग्रामीण इलाकों में संपर्क कर सके तथा महिला उद्यमियों को प्रशिक्षण प्राप्त हो सके ।

शोध साहित्य

दास मल्लिका 1990 ने केरल व तमिलनाडु की मध्यम व लघु उद्यम से संबंधित 35 महिला उद्यमियों का अध्ययन किया । अध्ययन में पाया कि एक तिहाई इकाई भागीदारी से संचालित है जिनमें 31 प्रतिशित पति एवं 44 प्रतिशत पारिवारिक सदस्य मुख्य रूप से भागीदार रहे हैं । अधिकांश महिला उद्यमी विनिर्माण क्षेत्र में संलग्न है, जैसे वस्त्र निर्माण, चमड़ा उद्योग, खाद्य वस्तुएँ आदि । इन महिला उद्यमियों में 66 प्रतिशत एकल स्वामित्व, 77 प्रतिशत 44 वर्ष से कम आयु वर्ग की, 90 प्रतिशत, 50 प्रतिशत विश्वविद्यालय से डिग्री प्राप्त एवं 34 प्रतिशत को व्यवसाय का पूर्व अनुभव था । व्यवसाय प्रारंभ करने का मुख्य कारण आय अर्जन व स्वयं को व्यस्त रखना था । आय अर्जन हेतु उद्यमिता को क्षेत्र में प्रवेश करने वाली महिलाएं निम्न आय वर्ग से थी, 13 से 16 प्रतिशत महिलाओं ने अपनी रूचि से व्यवसाय को प्रारंभ किय ।

फिशर व अन्य (2002) के अनुसार सूक्ष्म वित्त वर्तमान में तेजी से बढ़ता हुआ विकास नीति का प्रमुख हिस्सा है । सूक्ष्म वित्त द्वारा ग्रामीण आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्राप्त कर सकते हैं । यह कार्यक्रम जीवन स्तर ऊँचा उठाने, लोकतांत्रिक संगठनों के निर्माण और महिला सशक्तिकरण में सहायक है ।

शोध प्रविधि

प्रस्तुत अध्ययन हेतु देव निर्देशन के अनुसार कुल 80 महिला उद्यमियों का चयन यादृक्षिक (Random) आधार पर किया गया । इनसे सम्पर्क स्थापित कर महत्वपूर्ण सूचनाओं का संकलन किया गया ।

शोध के उद्देश्य

प्रस्तुत कार्य के उद्देश्यों को निम्नांकित तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया गया है –

- महिला उद्यमी में स्वरोजगार के अवसर प्रदान करना ।
- महिला उद्यमी में मनोबल तथा सामूहिक पहल करने की प्रवृत्ति का विकास करना ।
- महिला उद्यमी में बचत की आदत का विकास करना ।

परिकल्पना

प्रस्तुत कार्य को परिकल्पना को निम्नांकित तथ्यों द्वारा स्पष्ट किया गया है

- महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम, महिला हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति के प्रति तटस्थ है ।

विश्लेषण

तालिका क्रमांक 1

महिला उद्यमिता शिक्षा के अनुसार

महिला उद्यमिता की शिक्षा	संख्या	प्रतिशत
अशिक्षित	15	18.75
हाई सेकेण्डरी तक	16	20
हायर सेकेण्डरी तक	25	31.25
स्नातक स्तर	10	12.5
स्नातकोत्तर स्तर	14	17.5
कुल	**80**	**100**

तालिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में महिला उद्यमी की संख्या सबसे अधिक है हायर सेकेण्डरी महिला उद्यमी की संख्या 25 अर्थात् 31.25 प्रतिशत है जबकि हायर सेकेण्डरी 16 अर्थात 20 प्रतिशत है । अशिक्षित महिला उद्यमियों की संख्या 15 अर्थात् 18.75 प्रतिशत है । जबकि स्नातक स्तर पर 10 अर्थात् 12.5 प्रतिशत है । जबकि स्नातकोत्तर महिला उद्यमी की संख्या 14

अर्थात् 17.5 प्रतिशत है । निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकतर महिलायें हायर सेकेण्डरी तक शिक्षा प्राप्त की है ।

तालिका क्रमांक 2

महिला उद्यमिता स्वरोजगार के आधार पर वर्गीकरण

विवरण	संख्या	प्रतिशत
हाँ	65	81.25
नहीं	15	18.75
कुल	**80**	**100**

तालिका से स्पष्ट होता है कि महिला उद्यमी स्वरोजगार के आधार पर 65 अर्थात 81.25 प्रतिशत जुड़ी हुई है, जबकि अभी तक किसी भी प्रकार से रोजगार में 15 अर्थात् 18.75 प्रतिशत नहीं जुड़ पाई है ।

तालिका क्रमांक 3

महिला उद्यमिता सामूहिक कार्य के आधार पर वर्गीकरण

विवरण	महिला उद्यमी की संख्या	प्रतिशत
एकाकी	25	31.25
सामूहिक	55	68.75
कुल	**80**	**100**

तालिका से स्पष्ट होता है कि महिला उद्यमी सामूहिक कार्य 55 अर्थात 68.75 प्रतिशत के आधार पर कार्य करती है, जबकि एकाकी महिला उद्यमी 25 अर्थात 31.25 प्रतिशत के आधार पर कार्य करती है । निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि महिला उद्यमी सामूहिक कासर्य के आधार पर कार्य करती है ।

तालिका क्रमांक 4

उद्यम से संतुष्टि का स्तर

स्तर	महिला उद्यमी की संख्या	प्रतिशत
संतुष्ट है	58	72.5
संतुष्ट नहीं	22	27.25
कुल	**80**	**100**

तालिका से स्पष्ट होता है कि 72.5 प्रतिशत महिला उद्यमी अपने उद्यम व इसके परिणामों से संतुष्ट है जबकि 27.5 प्रतिशत महिलाएं इससे संतुष्ट नहीं है । निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकतर महिला उद्यमी अपने उद्यम से संतुष्ट है ।

तालिका क्रमांक 5

आय से बचत

बचत	महिला उद्यमी की संख्या	प्रतिशत
हाँ	56	70
नहीं	24	30
योग	**80**	**100**

उपरोक्त तालिका के अवलोकन से ज्ञात होता है कि चयनित 80 में से 56 अर्थात् 70 प्रतिशत महिला उद्यमी आय से बचत करती हैं जबकि 24 अर्थात् 30 प्रतिशत महिलाएँ आय से बचत नहीं कर पाती हैं । अतः निष्कर्ष के रूप में 56 अर्थात् 70 प्रतिशत महिलाएँ आय से बचती करती हैं ।

परिकल्पना क्रमांक 1

HO महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम में महिला हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति के प्रति संतुष्टि स्तर में सार्थक सम्बंध नहीं है ।

H1 महिला उद्यमिता विकास कार्यक्रम में महिला हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति के प्रति संतुष्टि स्तर में सार्थक सम्बंध है ।

तालिका क्रमांक 6

आय से बचत

संतुष्टि स्तर	महिला उद्यमी की संख्या	प्रतिशत
संतुष्टि	62	77.5
असंतुष्टि	18	22.5
योग	**80**	**100**

संतुष्टि स्तर

सार्थकता स्तर 5 प्रतिशत स्वांतत्रय, स्तर $(df) = (r-1)(c-1,), x^2 =$ काई वर्ग

$$x^2 = \sum \left[\frac{(O-E)^2}{E} \right]$$

O= अवलोकित आवृति

E= प्रत्याशित आवृति

काई वर्ग परीक्षण

संतुष्टि स्तर	अवलोकित आवृति O	प्रत्याशित आवृति E	परिगणित मूल्य CV	5% सार्थकता स्तर सारणी मूल्य TV	निर्वचन
संतुष्टि	62	40	24.2	3.841	CV > TV 24.2 > 3.841 H0 Rejected
असंतुष्टि	18	40			

df = (n-1) (2-1) =1

$$x^2 = \sum \frac{[O-E]^2}{E}$$

$$\frac{(62-40)^2}{40} + \frac{(19-40)^2}{40}$$

$$x^2 = 24.2$$

काई वर्ग (x^2) सांख्यिकीय विश्लेषण हेतु अध्ययन की शून्य परिकल्पना यह थी कि महिला हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति के प्रति संतुष्टि स्तर में कोई सार्थक संबंध नहीं है।

5 प्रतिशत सार्थकता स्तर पर 1 df के लि x^2 का सारणी मूल्य 3.841 है । जबकि परिगणित मूल्य 24.2 सारणी मूल्य से अधिक है अतः हमारी शून्य परिकल्पना HO अस्वीकार हुई एवं वैकल्पिक परिकल्पना सत्यापित होती है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति के प्रति संतुष्टि स्तर में सार्थक सम्बंध है । तालिका क्रमांक 5 के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिला उद्यमिता विकास में महिला हितग्राहियों की सर्वाधिक संख्या 62 अर्थात 77.5 प्रतिशत महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतन्त्र होना, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, उच्च शिक्षा का उपयोग करना, सृजनात्मक कार्य करना, परिवार का सहयोग करना, स्वयं की रूचि, व्यावसायिक कुशलता आदि के संदर्भ में अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हैं 18 अर्थात् 22.5 प्रतिशत महिला हितग्राहियों के अनुसार पारिवारिक मासिक आय कम होने से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती तथा सामाजिक अभाव, आर्थिक पिछड़ापन, प्रेरणा का अभाव आदि के कारण वे आर्थिक स्थिति से असंतुष्ट है । इस प्रकार कहा जा सकता है कि महिलाएँ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में योगदान देती हैं ।

महिला उद्यमी की समस्याएं

- महिला उद्यमी में स्वयं निर्णय लेने की क्षमता का अभाव होने के कारण उद्यमी के रूप में उनकी सफलता को प्रभावित करती है ।
- महिलाओं में समाजिक, राजनैतिक, व्यक्तिगत कारणों से महिलाओं में अभिप्रेरणा प्रवृत्ति का अभाव पाया जाता है ।

- महिलाओं के शिक्षा स्तर में गिरावट ।
- दोहरी भूमिका ने उन्हें पति व परिवार के अन्य सदस्यों से सहयोग प्राप्त नहीं होता है ।
- महिला उद्यमी अपने पारिवारिक जिम्मेदारियों के कारण उद्योग व्यवसाय में पूरा समय नहीं दे पाया ।
- बैकिंग क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के बारे में पता न होना ।
- बैंक द्वारा ऋणकर्ताओं के साथ प्रत्यक्ष लेन देन का अभाव ।

तालिका क्र. 1 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उच्च शिक्षा प्राप्त करने में महिला उद्यमी की संख्या सबसे अधिक है हायर सेकेण्डरी महिला उद्यमी की संख्या 25 अर्थात 31.25 प्रतिशत है । हायर सेकेण्डरी महिला उद्यमी की संख्य 25 अर्थात 31.25 प्रतिशत है जबकि हायर सेकेण्डरी 16 अर्थात 20 प्रतिशत है । अशिक्षित महिला उद्यमियों की संख्या 15 अर्थात 18.75 प्रतिशत है । जबकि स्नातक स्तर पर 10 अर्थात 12. 5 प्रतिशत है । जबकि स्नातकोत्तर महिला उद्यमी की संख्या 14 अर्थात 17.5 प्रतिशत है ।

तालिका क्र. 2 से स्पष्ट होता है कि महिला उद्यमी स्वरोजगार के आधार पर 65 अर्थात 81.25 प्रतिशत जुड़ी हुई है, जबकि अभी तक किसी भी प्रकार से रोजगार में अर्थात 18.75 प्रतिशत नहीं जुड़ पाई है ।

तालिका क्र. 3 से स्पष्ट होता है कि महिला उ़द्यमी सामूहिक कार्य 55 अर्थात 68.75 प्रतिशत के आधार पर कार्य करती हैं, जबकि एकाकी महिला उद्यमी 15 अर्थात 31.25 प्रतिशत के आधार पर कार्य करती है । निष्कर्ष के रूप में कहा जात सकता है महिला उद्यमी सामूहिक कार्य के आधार पर कार्य करती है ।

तालिका क्र. 4 से स्पष्ट होता है कि 72.5 प्रतिशत महिला उद्यमी अपने उद्यम व इसके परिणामों से संतुष्ट हैं, जबकि 27.5 प्रतिशत महिलाएं इससे संतुष्ट नहीं है । निष्कर्ष के रूप में कहा जा सकता है कि अधिकतर महिला उद्यमी अपने उद्यम से संतुष्ट है ।

तलिका क्र. 5 के अवलोकन से ज्ञाता होता है कि चयनित 80 में से 56 अर्थात 70 प्रतिशत महिला उद्यमी आय से बचती करती हैं, जबक 24 अर्थात 30 प्रतिशत महिलाएँ आय से बचत नहीं कर पाती हैं । अतः निष्कर्ष के रूप में 56 अथ्रत 70 प्रतिशत महिलाएँ आय से बचत करती हैं ।

परिकल्पना का सत्यापन

5% सार्थकता स्तर पर 1 df के लिए x^2 का सारणी मूल्य 3.841 है । जबकि परिगणित मूल्य 27.2 सारणी मूल्य से अधिक है अतः हमारी शून्य परिकल्पना HO अस्वीकार हुई एवं वैकल्पिक परिकल्पना सत्यापित होती है जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि महिला हितग्राहियों की आर्थिक स्थिति के प्रति संतुष्टि स्तर में सार्थक सम्बंध है। तालिका क्रमांक 5 से विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि महिला उद्यमिता विकास में महिला हितग्राहियों की सर्वाधिक संख्या 62 अर्थात 77.5 प्रतिशत महिलाएँ आर्थिक रूप से स्वतंत्र होना, व्यक्तिगत प्रतिष्ठा, उच्च शिक्षा का उपयोग करना, सृजनात्मक कार्य करना, परिवार का सहयोग करना, स्वयं के रूचि, व्यावसायिक कुशलता आदि के संदर्भ में अपनी आर्थिक स्थिति से संतुष्ट हैं 18 अर्थात

22.5 प्रतिशत महिला हितग्राहियों के अनुसा पारिवारिक मासिक आय कम होने से पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्ण रूप से नहीं हो पाती तथा सामाजिक अभाव, आर्थिक पिछड़ापन, प्रेरणा का अभाव आदि के कारण व आर्थिक स्थिति से असंतुष्ट हैं । इस प्रकार कहा जा सकता है कि महिलाएँ प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से आर्थिक क्रियाओं में योगदान देती हैं ।

सुझाव

- महिलाओं में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की भावना पैदा करने के लिए विभिन्न कार्यक्रमों को सहायता प्रदान करनी चाहिए ।
- महिलाओं में शिक्षा के स्तर को सुधारने हेतु महिला शिक्षा पर अधिक प्रयास किये जाने चाहिए ।
- महिलाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर संशोधन कार्यो को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए ।
- महिलाओं के परम्परागत ज्ञान के अनुरूप आर्थिक क्रियाओं को सहायता प्रदान करनी चाहिए ।
- कमजोर वर्ग की महिलाओं को स्वांवलम्बी कार्यक्रम को सहायता प्रदान करनी चाहिए ।
- महिला उद्यमी विकास कार्यो का परस्पर सहयोग तथा सहभागिता के आधार पर संचालित किया जाना चाहिए ।
- सफल महिला उद्यमियों का सामाजिक सम्मान किया जाना चाहिए और उनके अनुभवों का समुचित प्रचार व प्रसार किया जाना चाहिए ।
- विद्यालयों व महाविद्यालयों में रोजगार मार्गदर्शन प्रकोष्ठ की स्थापना की जानी चाहिए और इनके माध्यम से महिला उद्यमी विकास कार्यक्रमों/योजनाओं के बारे में विद्यार्थियों व समाज के लोगों को जानकारी प्रदान की जानी चाहिए ।

संदर्भ ग्रंथ सूची

- अलवी, एच.एण्ड.जे. हैरिस (1989) सोशिलॉजी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, साउथ एशिया, मैकमिलन, 1
- भारत में महिला सूक्ष्म वित्त की भूमि रोजगार समाचार 30 जून 2018 पृ.सं. 19
- दास मल्लिका 1990 केरल व तमिलनाडु की मध्यम व लघु उद्यम से संबंधित महिला उद्यमियों का अध्ययन ।
- गरिकिपति, सुप्रिया (2008), रिडिफाइनिंग जेण्डर रोल्स, रिवर्किंग जेण्डर रिलशन्स : फीमेल एग्रीकल्चर लेबर इन ड्राईरीजन्स ऑफ ए.पी.इन.एस. हारेल, जॉनसन एण्ड.पी. मोसले (एडी.) वर्क, फीमेल इम्पावरमेंट ।
- फिशर, थॉमन (2002), सूक्ष्म वित्त वर्तमान में विकास नीति का अध्ययन पृ.सं. 220
- चौधरी, पी. (1994) द वेल्ड वूमेन : शिफ्टिंग जेण्डर इक्यूशंस इन रूरल हरयाणा, 1980–1990 आक्सफोर्ड यूनीवर्सिटी प्रेस, दिल्ली ।